

पुनर्वसु / राजाराय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 1148/95 ..... जिला म. म. म. म.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	<p>पुनर्वसु के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव</p> <p>राजस्व मण्डल के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया</p> <p>उक्त बजट का मूल्यांकन किया गया</p> <p>उक्त बजट को संतुष्टि देकर मंजूर किया गया</p> <p>उक्त बजट के अन्तर्गत 1 अरब 40 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव</p> <p>उक्त बजट को संतुष्टि देकर मंजूर किया गया</p> <p>उक्त बजट के अन्तर्गत 1 अरब 40 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव</p> <p>उक्त बजट को संतुष्टि देकर मंजूर किया गया</p>	<p>पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p> <p>म. म. म. म.</p> <p>4/9/15</p> <p>Natal</p>



C.A. 6. 7. 50

**RM/5-2172/1148195**

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्र० 144 पुनरीक्षाण

मुन्नी बाई पत्नी धीरजसिंह खुवंशी  
निवासी ग्राम बमनावर तहसील ईसागढ  
जिला गुना ----- आवेदक  
विह्व

राजाराम आत्मज मैरोसिंह राजपूत  
निवासी ग्राम पचलाना हाल निवासी  
ग्राम बमनावर तहसील ईसागढ जिला गुना  
----- अनावेदक

क्रमांक .....  
श्री. सरस्वती देवी राजपूत 25.11.95  
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक .....  
को प्रस्तुत मो. 11.95  
दत्तक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग वदारा प्रकरण क्रमांक  
2143-48 पुनरीक्षाण में पारित आदेश दिनांक 21-2-44  
के पुनरीक्षाण हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 40 मू राजस्व  
संहिता 1444.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षाण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

- (1) यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा प्रकरण के अमिलेस के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।
- (2) यह कि आवेदक के हित में तहसील न्यायालय ने विधि अनुसार कार्यवाही करने के पश्चात ग्रामों की दखल रहित भूमि ----- अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का व्यवस्थापन किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी को तहसील आदेश के विह्व अपील सुनने का विचाराधिकार नहीं है और न ही तहसील न्यायालय का आदेश अपील योग्य है। इस वैधानिक बिन्दु पर अपर आयुक्त महोदय वदारा निकाले गये निष्कर्ष विधि विपरीत हैं।

मो. 11.95  
22-7-44